न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 18 / 2025

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोटेन्ट**
प्रवीण रत्नू, तत्कालीन तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा हाल– उप पंजीयक पंचम, जिला जोधपुर।		**जिला कलेक्टर, बालोतरा**

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर बाडमेर कमांक प.1(10) संस्था / जि.क.बालो / 2024 / 3865 दिनांक 12.11.2024 जिसके द्वारा नियम 17 के तहत् अपीलांट की दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उपस्थितिः——

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा उपस्थित।**

निर्णय

दिनांकः 08 जुलाई, 2025

1. यह अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलांट की दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 07.04.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर से अपील पर उनकी टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार श्री अशोक विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को दिनांक 1.7.2025 को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि जिला कलक्टर बालोतरा ने उनके ज्ञापन क्रमांक कार्मिक / 2023 / 2470 दिनांक 10.04.2022 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत् अपीलान्ट पर निम्न आरोप आरोपित किया गयाः–

आरोप संख्या एक–

यह है कि आप श्री प्रवीण रतनू के दिनांक 27.07.2021 से तहसीलदार पचपदरा के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान दिनांक 09.04.2022 को ग्राम पंचायत मुख्यालय मण्डापुरा में

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अद्योहस्ताक्षरकर्ता की जन सुनवाई कार्यक्रम में आमजन द्वारा आपके विरूद्ध बिना रिश्वत राशि लिये दस्तावेजों का पंजीयन नहीं करने, दस्तावेज पंजीयन हेतु रिश्वत की मांग करने तथा समय पर दस्तावेज पंजीयन नही करने आदि के संबंध में शिकायत की गई। लोक सेवक होने के नाते आपका यह कृत्य राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 का उल्लंघन करने एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जैसाकि आरोप विवरण पत्र में अंकित है।

4. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी निवेदन किया कि उक्त आरोप एक शिकायत के आधार पर दिनांक 09.04.2022 को ग्राम पंचायत मुख्यालय मण्डापुरा जनसुनवाई कार्यक्रम में आमजन द्वारा रिश्वत की राशि लिये बिना दस्तावेजों का पंजीयन नहीं करने, पंजीयन करने हेतु 2 से 3 प्रतिशत तक रिश्वत लेने तथा रिश्वत देने के बावजूद भी समय पर दस्तावेज पंजीयन कर नहीं लौटाने के संबंध में शिकायत जिला कलक्टर बाडमेर के समक्ष की गयी थी। उक्त शिकायत की जांच करने हेतु जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा एक कमेटी का गठन दिनांक 10.04.2022 को किया गया। साथ ही अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 10.04.2022 को ही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियमावली 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही किये जाने का निर्णय ले लिया गया। इस अनुशासनिक जांच कार्यवाही से संबंधित तथ्यो, जिनके आधार पर जांच कार्यवाही करने का निर्णय लिया है, वह आरोप विरचित किया गया एवं जिन अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित किया गया वह भी दिनांक 10.04.2022 को ही जारी किया गया।

5. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी निवेदन किया कि गठित जॉच कमेटी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच कर जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर, बाडमेर को दिनांक 26.05.2022 को प्रस्तुत की गई जिसमें निम्न बिन्दु अंकित किये गये थे–

(अ) तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रत्येक रजिस्ट्री में अतिरिक्त राशि की मांग करना।

(ब) प्रार्थी के द्वारा दिनांक 22.10.2021 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज को अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जाना।

(स) प्रार्थी के द्वारा अन्य दस्तावेज दिनांक 01.02.2022 को भी मौका निरीक्षण के लिये लम्बे समय तक लम्बित रखना।

(द) ग्राम पंचायत मण्डापुरा के ख.नं. 2510/850 का मुकदमा सं. 98/2019 में विभाजन हेतु जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव को अनावश्यक रूप से लम्बित रखना।

(य) तहसील कार्यालय, पचपदरा में कार्यरत अर्जीनवीसों को पंजीयन कार्य के लिये ली जाने वाली अतिरिक्त राशि बढाने के निर्देश दिया जाना।

6. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में जॉच कमेटी के द्वारा श्री पूनाराम व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच के दौरान शिकायतकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों के बयान लिये गये एवं साक्ष्य में दस्तावेज लिये गये। शिकायतकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों के बयानों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जॉच कमेटी ने

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बिन्दु संख्या 1, 4 व 5 को प्रमाणित नहीं माना परन्तु बिन्दु संख्या 2 व 3 को प्रमाणित माना। उक्त जांच रिपोर्ट में अन्तिम निष्कर्ष में यह पाया गया कि तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा पंजीयन दस्तावेजों को मौका निरीक्षण के लिये अनावश्यक रूप से लम्बित रखा गया है।

7. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त ज्ञापन का प्रत्युत्तर दिनांक 20.09.2023 को प्रस्तुत करते हुए आरोपित आरोप को अस्वीकार कर संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने तथा अपीलान्ट को आरोप मुक्त करने का निवेदन किया। जिला कलक्टर महोदय, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पत्रावली की आर्डर शीट पर दिनांक 29.01.2024 को अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश दिया गया परन्तु इसके संदर्भ में अलग से कोई लिखित आदेश पारित नहीं किया। जिला बालोतरा का गठन हो जाने से तहसील, पचपदरा जिला बालोतरा में सम्मिलित होने के कारण अपीलान्ट की उक्त विभागीय कार्यवाही की मूल पत्रावली निस्तारण हेतु जिला कलक्टर बालोतरा को दिनांक 27.06.2024 को प्रेषित कर दी गई। अपीलान्ट के द्वारा उक्त जारी ज्ञापन का प्रत्युत्तर दिनांक 21.08.2024 को जिला कलेक्टर बालोतरा के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया तथा संस्थित कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया गया। जिला कलेक्टर, बालोतरा ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान करने के उपरान्त पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2024 के द्वारा अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह विभागीय अपील श्रीमान के समक्ष उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अतिरिक्त अपील में वर्णित आधारों पर प्रस्तुत की गई है।

8. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट की समस्त राजकीय सेवा संतोषजनक रही है तथा उसके द्वारा अपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता के साथ सम्पादित किया गया है। उक्त जारी ज्ञापन आरोप एवं विवरण पत्र में दिनांक 09.04.2022 को जनसुनवाई में प्रार्थी के द्वारा उक्त शिकायत करने पर दिनांक 10.04.2022 को आरोप पत्र जारी किया गया, जबकि शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 17.04.2022 को शिकायत किया जाना बताया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा मिथ्या एवं मनगढंत आरोप लगाकर अपीलान्ट पर अनैतिक रूप से कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई, जबकि दिनांक 09.04.2022 को अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत पेश ही नहीं की गयी थी। तत्पश्चात् अनैतिक रूप से दबाव बनाकर उक्त शिकायत दिनांक 17.04.2022 को प्राप्त की गयी जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता के बयानों से होती है। इस कारण से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। शिकायतकर्ता स्वयं अपने बयानों में शिकायत के आधारों से मुकर गया इसलिए भी अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं माने जा सकते थे।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

9. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी निवेदन किया कि दिनांक 09.04.2022 एवं इससे पूर्व समय में राज्य सरकार की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया जा रहा था जिसमें अपीलान्ट अभियान के शिविरों में देर रात्रि तक आमजन के लम्बित कार्य शिविर में ही तथा मौके पर निस्तारण करवा रहे थे तथा उक्त कार्यों में अधिकतर समय तक व्यस्त रहने के कारण शिविर समाप्ति के पश्चात देर रात्रि तक शिविर में प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेजों की जांच करने में समय अवश्य लगा है क्योंकि मौके पर कब्जे की स्थिति को जांच करने के बाद ही दस्तावेज को पंजीयन करने के नियम होने के कारण दस्तावेज पंजीयन करने में देरी हुई है जिसमें अपीलान्ट का कोई मेलाफाईड इन्टेशन नही था एवं ना ही राजकार्य में विलम्ब करने का आशय था। अपीलान्ट के द्वारा यथासंभव आमजन को समय पर मौके पर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये गये परन्तु कई बार पक्षकार स्वयं मौके पर उपस्थित नही हुए जिससे कब्जे की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका। भू-माफियाओं के द्वारा पचपदरा रिफाईनरी क्षेत्र के आस-पास की भूमियों का इकरारनामें के आधार पर बेचान करने से राजस्व अपवंचना हो रही थी, उनको इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने की हिदायत दिये जाने पर माफियाओं के द्वारा अपीलान्ट से नाराज होकर द्वेषता रखते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त प्रकार की झूठी एवं मनगढंत शिकायत प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त पचपदरा रिफाईनरी क्षेत्र में वीआईपी विजिट अधिक होने एवं रिफाईनरी के बाहर कम्पनियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच में कई बार वाद-विवाद होने, धरना प्रदर्शन करने पर कानून व्यवस्था बनाये रखने में अधिकतर समय व्यस्त रहने, पाटोदी क्षेत्र में ओरण भूमि पर किये गये अतिक्रमण को खाली कराने हेतु विश्व हिन्दु परिषद के द्वारा करीब एक माह तक धरना प्रदर्शन किया गया जिसके कारण कानून-व्यवस्था में भी अधिकतर समय व्यतीत होता रहा। ऐसे में पंजीयन दस्तावेजों का मौका निरीक्षण करने में सद्भाविक, युक्तियुक्त एवं न्याय संगत देरी हुई जिसके आधार पर अपीलान्ट को दण्डित करना विधिनुसार उचित एवं न्यायपूर्ण नहीं है।

10. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी निवेदन किया कि रिफाईनरी क्षेत्र के आस-पास के लोगो द्वारा भूमि जब बेचान की जाती थी तो उनका मौका निरीक्षण आवश्यक था क्योकि रिफाईनरी के आस-पास की भूमि अधिकतर विवादित थी या उन प्रश्नगत भूमियों पर न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था। साथ ही एक ही भूखण्ड के दोहरे पट्टे जारी होने से मौका निरीक्षण एवं जांच पक्षकारों की उपस्थिति में की जानी आवश्यक थी लेकिन विवाद होने पर पक्षकार मौके पर समय पर उपस्थित नहीं होते थे जिससे भी दस्तावेजों का पंजीयन करने में युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत देरी हुई है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट पर आरोपित आरोप के संबंध में जांच रिपोर्ट का अंकन किया गया परन्तु जांच रिपोर्ट में एक-तरफा तथ्यों का ही उल्लेख किया गया है, उक्त जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत बयान में वर्णित तथ्यों को शामिल तक नहीं किया गया। मात्र झूठे एवं मनगढत आरोप लगाकर आरोप विरचण के पश्चात् दिनांक 17.04.2022

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को शिकायत प्रस्तुत करवायी गयी है जिससे आरोपित आरोप स्वतः ही अवैधानिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त करने योग्य है।

11. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट को आरोप विरचन के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं न ही आरोप विरचन के पूर्व किसी प्रकार का नोटिस अपीलान्ट को दिया गया है। अपीलान्ट के द्वारा आरोपित आरोप का विस्तृत रूप से तथा क्रमबद्ध प्रत्युत्तर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाडमेर एवं जिला कलेक्टर, बालोतरा के समक्ष लिखित में पेश किया था परन्तु दोनों जिला कलक्टर महोदय के द्वारा उन पर कोई विचार नहीं कर आरोप को प्रमाणित मानते हुए उक्त दण्डादेश पारित कर दिया गया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा जिला कलक्टर महोदय बाडमेर के द्वारा आरोप विरचित कर पत्रावली पर तो दण्डादेश अंकित कर दिया परन्तु तत्समय में अंतिम निर्णय पारित नहीं कर पत्रावली को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु जिला कलक्टर बालोतरा को हस्तान्तरित कर दी गयी है जिसे विधि की दृष्टि से सही एवं न्यायोचित नही ठहराया जा सकता है।

12. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी निवेदन किया कि जिला कलक्टर बालोतरा के द्वारा भी अपीलान्ट के उक्त प्रत्युत्तर को स्वीकार नही कर उन्हें दोषी मानते हुए दिनांक 12.11.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है, जो निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप में किसी प्रकार का विपरीत आचरण या उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने बाबत् कोई तथ्य मौजूद नही थे। दिनांक 09.04.2022 को अपीलान्ट के विरूद्ध की गई कोई लिखित शिकायत पत्रावली में मौजूद नहीं है। जब जांच अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोप को सिद्ध ही नही माना गया है तो उक्त स्थिति में उक्त संस्थित 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही ड्रोप होनी चाहिये थी। जिला कलेक्टर के द्वारा बिना दस्तावेजी सबूत एंव अन्य किसी भी प्रकार के आधार के बिना मेरे विरूद्ध ड्रोप होने योग्य प्रकरण होने के बावजुद मुझ अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है, जो पूर्णतया न्यायोचित नही कहा जा सकता। उक्त निर्णय से भविष्य में अपीलान्ट की होने वाली उच्च्व पदों की पदोन्नतियो एंव अन्य आर्थिक परिलाभ प्राप्त करने मे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा पातिर अपीलाधीन आदेश दिंनाक 02.08.2024 को न्यायहित मे निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को दोषमुक्त करने का श्रम करें।

13. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार श्री अशोक कुमार विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा ने जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा प्रेषित टिप्पणी को ही अपनी बहस माने जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर बालोतरा के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित दण्ड को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। उपरोक्तानुसार प्रेषित टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के प्रकरण में गठित जॉच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में समय पर दस्तावेजों का पंजीयन नहीं करने एवं दस्तावेज आवश्यक रूप से लम्बित रखने का आरोप प्रमाणित माना गया है जिससे आरोप पत्र के आरोप का एक भाग सिद्ध होता है। अतः लगाये गये आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होने के फलस्वरूप जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा सीसीए नियमों के तहत अपीलान्ट अधिकारी की आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है, जो नियमों के अनुसार उचित होने से यथावत रखा जावें एवं अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

14. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील एवं अपील पर जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा प्रेषित टिप्पणी का भी अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट पर आरोपित आरोप के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा एक जॉच कमेटी गठित करते हुए जॉच कमेटी से निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच कराते हुए जांच रिपोर्ट तलब की गईः–

(अ) तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रत्येक रजिस्ट्री में अतिरिक्त राशि की मांग करना।
(ब) प्रार्थी के द्वारा दिनांक 22.10.2021 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज को अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जाना।
(स) प्रार्थी के द्वारा अन्य दस्तावेज दिनांक 01.02.2022 को भी मौका निरीक्षण के लिये लम्बे समय तक लम्बित रखना।
(द) ग्राम पंचायत मण्डापुरा के ख.नं. 2510/850 का मुकदमा सं. 98/2019 में विभाजन हेतु जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव को अनावश्यक रूप से लम्बित रखना।
(य) तहसील कार्यालय, पचपदरा में कार्यरत अर्जीनवीसों को पंजीयन कार्य के लिये ली जाने वाली अतिरिक्त राशि बढाने के निर्देश दिया जाना।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

15. जॉच कमेटी के द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट जिला कलक्टर, बाडमेर को दिनांक 26.05.2022 को प्रस्तुत की गई जिसका अवलोकन किया गया। उक्त जॉच रिपोर्ट में उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में जॉच कमेटी के द्वारा श्री पूनाराम नाम के व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच के दौरान शिकायतकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों के बयान लिये गये एवं साक्ष्य में दस्तावेज लिये गये है तथा शिकायतकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों के बयानों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बिन्दु संख्या 1, 4 व 5 को प्रमाणित नहीं माना तथा बिन्दु संख्या 2 व 3 (प्रार्थी के द्वारा दिनांक 22.10.2021 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज को अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जाना एवं प्रार्थी के द्वारा अन्य दस्तावेज दिनांक 01.02.2022 को भी मौका निरीक्षण के लिये लम्बे समय तक लम्बित रखना) को प्रमाणित माना है।

16. अपीलान्ट के द्वारा उक्त दस्तावेजों के लम्बित होने के सम्बन्ध में अपने प्रत्युतर में तथा इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गये है कि पचपदरा में रिफाईनरी क्षेत्र के आस–पास के लोगो द्वारा भूमि जब बेचान की जाती थी तो उनका मौका निरीक्षण किया जाना आवश्यक था क्योकि रिफाईनरी के आस–पास की भूमि अधिकतर विवादित थी या उन प्रश्नगत भूमियों पर न्यायालय के द्वारा स्थगन

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश पारित किया गया था। साथ ही एक ही भूखण्ड के दोहरे पट्टे जारी होने से मौका निरीक्षण एवं जांच पक्षकारों की उपस्थिति में की जानी आवश्यक थी लेकिन विवाद होने पर पक्षकार मौके पर समय पर उपस्थित नहीं होते थे जिससे भी दस्तावेजों का पंजीयन करने में युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत देरी हुई है।

17. साथ ही यह भी अंकित किया है कि दिनांक 09.04.2022 एवं इससे पूर्व के समय में राज्य सरकार की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया जा रहा था जिसमें अपीलान्ट अभियान के शिविरों में देर रात्रि तक आमजन के लम्बित कार्य शिविर में ही तथा मौके पर निस्तारण करवा रहे थे तथा उक्त कार्यों में अधिकतर समय तक व्यस्त रहने के कारण शिविर समाप्ति पश्चात देर रात्रि में प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेजों की जांच करने में समय अवश्य लगा है क्योंकि मौके पर कब्जे की स्थिति की जांच करने के बाद ही दस्तावेज को पंजीयन करने के नियम होने के कारण दस्तावेज पंजीयन करने में देरी हुई है। अपीलान्ट के द्वारा यथासंभव आमजन को समय पर मौके पर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये गये परन्तु कई बार पक्षकार स्वयं मौके पर उपस्थित नही हुए जिससे कब्जे की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका। भू–माफियाओं के द्वारा पचपदरा रिफाईनरी क्षेत्र के आस–पास की भूमियों का इकरारनामें के आधार पर बेचान करने से राजस्व अपवंचना हो रही थी, उनको इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने की हिदायत दिये जाने पर माफियाओं के द्वारा अपीलान्ट से नाराज होकर द्वेषता रखते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त प्रकार की झूठी एवं मनगढंत शिकायत प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त पचपदरा रिफाईनरी क्षेत्र में वीआईपी विजिट अधिक होने एवं रिफाईनरी के बाहर कम्पनियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच में कई बार वाद–विवाद होने, धरना प्रदर्शन करने पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में अधिकतर समय व्यस्त रहने, पाटोदी क्षेत्र में ओरण भूमि पर किये गये अतिक्रमण को खाली कराने हेतु विश्व हिन्दु परिषद के द्वारा करीब एक माह तक धरना प्रदर्शन किया गया जिसके कारण कानून–व्यवस्था में भी अधिकतर समय व्यतीत हुआ है ऐसे में पंजीयन दस्तावेजों का मौका निरीक्षण करने में सद्भाविक, युक्तियुक्त एवं न्याय संगत देरी हुई है।

18. अपीलान्ट के द्वारा आरोपित आरोप के सम्बन्ध में जो उल्लेखित तथ्य दर्शाये है, उनसे यह न्यायालय सहमत है क्योंकि दस्तावेज पंजीयन में अपीलान्ट के स्तर पर जो विलम्ब हुआ है वह राजकीय कार्यो की अधिकता एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से हुआ है जो कि सद्भाविक रूप से होना सम्भव है, जिसमें अपीलान्ट की किसी प्रकार से बदनियती एवं आचरण दूषित होना नहीं पाया गया है। ऐसे में अपीलान्ट को जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट को उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है, वह दण्ड आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक दिया जाना प्रतीत होता है तथा उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा पेश प्रत्युतर में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं सही नहीं मानने का कोई ठोस आधार अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया गया है, मात्र जॉच कमेटी के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निष्कर्ष को ही अन्तिम मान लिया गया है जो न्याय के सिद्वान्तों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट पर आरोपित आरोप निराधार प्रतीत होते है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से अपील स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2024 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

19. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2024 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 8 जुलाई, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर